न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.औ.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 204/2014

उनवान

1 उगमा पिता नन्दा चमार निवासी आगुँचा तहसील हुरडा ।

–वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार तहसीलदार हुरडा, तहसील हुरडा ।
2 जिला कलक्टर, भीलवाडा ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री गोतम बम्ब वकील वादी

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–:निर्णय:–

दिनांक– 11.06.2018

1 वादी के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि वादी को दिनांक 03.11.1977 को आराजी नम्बर– 4929 वाके ग्राम आगुँचा में रकबा 122 बीघा 10 बीघा में से 05 बीघा भूमि का आवंटन किया गया और उसे गैर खातेदारी अधिकार प्रदान कर उसके नये नम्बर– 6516/4929 बनाये गये तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या– 260 से गैर खातेदारी अधिकार से खातेदारी अधिकार प्रदान किये तब से वादी उक्त जमीन पर बहेसियत मालिक खातेदार काबिज काश्त करता चला आ रहा है । इसके बाद में तहसीलदार हुरडा के द्वारा सन् 2002 वादी को आंवटितशुदा जमीन को निरस्त कराने के लिये उपर जिला कलेटर महोदय भीलवाडा के यहॉ अपील प्रस्तुत की जिसे दिनांक 16.06.2002 को तहसीलदार की अपील स्वीकार करते हुय वादी को आवंटन करते हये निरस्त कर दिया तत्पश्चात वादी द्वारा ए डी एम के आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील राजस्व अपील अधिकारी के यहॉ प्रस्तुत की जो दिनांक 16.09.2003 को पेश की गयी जो वादी की अपील अस्वीकार कर दी गयी तत्पश्चात वादी द्वारा द्वितीय अपील माननीय राजस्व न्यायालय, राजस्व मण्डल अजमेर, में अपील/एल. आर/6024/2013/भीलवाडा द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 05.10.2012 को स्वीकार कर ए डी एम साहब भीलवाडा व आर ए ए भीलवाडा के आदेश के निर्णय को दिनांक 16.09.2003 के दोनो निर्णय को अपील स्वीकार करते हुये अपास्त कर दिया है एवं दोनो अपीलों के निस्तारण के दौरान तहसीलदार हुरडा ने वाद की लम्बितता के दौरान धारा 52 सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम की अवहैलना करते हुये वादी की खातेदारशदा आराजी को गलत एवं अवैध रुप से बिलानाम

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

राज्य सरकार कर दी जो गलत होकर काबिल निरस्ती के है तथा वादी माननीय राजस्व मण्डल की अनुपालना में पुनः राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर– 6516/4929 तथा वादी द्वारा कुआ खोदा गया उसके नये नम्बर– 6516/4929/1 रकबा 02 बिस्वा को बिलानाम दर्ज कर दिया उसे पुनः अपने खातेदारी हक से दर्ज राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है ।

2 वादी द्वारा आने को बार पुनः खातेदारी अधिकार से दर्ज करने हेतु तहसीलदार हुरडा एवं जिला कलेक्टर भीलवाडा को निवेदन किया लेकिन उन्होने आज तक माननीय राजस्व मण्डल न्यायालय अजमेर की अनुपालना में कोई कार्यवाही नही की गयी और न ही वादी को उसकी आराजी के खातेदारी अधिकार प्रदान किये है । उक्त कृत्य विधि विरुद्ध एवं न्ययालय आदेश की अवमानना की तारीफ में आता है ।

3 वादी को माननीय राजस्व मण्डल न्यायालय अजमेर की अपनुपालना में वादी को उसकी आराजी के खातेदारी अधिकार प्रदान करने के लिए वादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 15.07.2014 को पंजीकृत सूचना भेजी जो दोनो प्रतिवादीगण को मिल चूकी परन्तु उन्होने आज दिन तक न तो आदेश का पालन किया और न ही नोटिस का जवाब दिया ।

4 वादी आराजी नम्बर– 4929 वाके ग्राम आगुँचा में रकबा 122 बीघा 10 बिस्वा में से 05 बीघा भूमि का आवंटन किया गया और उसे गैर खातेदारी अधिकार प्रदान कर उसके नये नम्बर– 6516/4929 बनाये गये तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या– 2460 से गैर खातेदारी अधिकार से खातेदारी अधिकार प्रदान किये को पुनः नामान्तकरण अपने नाम पर फैसल करवा कर खातेदारी हक की घोषणा करवाने का अधिकारी है इस हेतु यह चाराजोई पेश है ।

5 अन्त में अंकित किया कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के खातेदारी घोषणात्मक डिक्री इस आशय की सादिर पारित फरमाई जावें कि वादी आराजी नम्बर– 4929 वाके ग्राम आगुँचा में रकबा 122 बीघा 10 बिस्वा में से 05 बीघा भूमि का आवंटन किया गया और उसे खातेदारी अधिकारी प्रदान कर उसके नये नम्बर– 6516/49296 बनाये गये उसको राजस्व मण्डल के निर्णय के अनुपालना पुनः खातेदारी अधिकार प्रदान करते हुये राजस्व रेकार्ड से बिलानाम की गयी जमीन को पुनः खातेदारी अधिकार से दर्ज करने की आज्ञप्ति पारीत फरमाई जावे । दौराने वाद प्रतिवादी उपरोक्त आराजीयात से वादी को बेदखल करने में कामयाब हो जावे तो पुनः प्रतिवादीगण के खर्चे से पुनः वाद दायरी की स्थिति में लायी जाने का आदेश प्रदान फरमावें । माफिक डिक्री खातेदारी माननीय न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में पारित की जाती है तो प्रतिवादी संख्या– 01 को आदेशित फरमाया जावें कि माफिक डिक्री वादी के पक्ष में राजस्व रेकार्ड में उचित अमल दारमद करें ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

6 प्रस्तुत वाद जाँच दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकारराज के द्वारा दिनांक 19.12.2016 को जवाब प्रस्तुत किया गया ।

7 प्रकरण में वादपत्र व जवाबदावा के आधार पर निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई–

तनकी नं.–1	आया वादी को दिनांक 03.11.1977 को ग्राम आगुँचा की आराजी नम्बर– 4929 गे0मु0 नदी में से 05 बीघा भूमि का आवंटन किया जाकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये तब से वादी उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त चला आ रहा है ।	–वादी
तनकी नं.–2	आया अपर जिला कलक्टर भीलवाडा के यहाँ अपील प्रस्तुत करने से दिनांक 16.06.2002 को वादी का आवंटन निरस्त कर दिया ।	–वादी
तनकी नं.–3	आया वादी वाद पत्र की कलम नम्बर– 1 में वर्णित कारणों से आ0मु0 के लिये खातेदारी हक घोषणा करवाने का अधिकारी है ।	–वादी
तनकी नं.–4	आया जवाददावा के मजिद कथन सी व डी में वर्णित कारणों से दावा वादी खाजिर योग्य है ।	– प्रति वादी
तनकी नं.–5	अनुतोष	

8 तत्पश्चात पत्रावली आज केम्प कोर्ट आगुँचा पर पेश हुई। वकील वादी व पैरोकारराज उपस्थित हुये । उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से उभयपक्ष की बहस सूनी गई । वक्त बहस वकील वादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये अन्म में कथन किया कि माननीय राजस्व मण्डल की निर्णय की अनुपालना में वादग्रस्त आराजीयात पुनः खातेदारी अधिकार प्रदान कराते हुये राजस्व रिकार्ड से बिलानाम की गई जमीन को वादी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज कराये जाने की घोषणात्मक डिकी पारित फरमायी जावें ।

9 पैरोकारराज ने कथन किया कि वादी को ग्राम आगुँचा की खसरा नम्बर– 4929 रकबा 122 बीघा 10 बिस्वा गें.मू. नदी में से 05 बीघा भूमि आंवटित होकर गैर खातेदारी हक से दर्ज की गई थी । वादी को खसरा नम्बर– 6516/4929 में किसी प्रकार की कोई खातेदारी अधिकार नही दिये गये है । इसके बाद तहसीलदार हुरडा द्वारा वादी को आंवटितशुदा भूमि को निरस्त कराने के लिये अन्तर्गत धारा 14 (4) एल.आर.एक्ट. में प्रकरण अपर जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा में प्रस्तुत किया गया था । जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुये वादी उगमा को किया गया आंवटन निरस्त कर दिया गया । पैरोकारराज का बहस में यह भी कथन था कि राजस्थान भू– राजस्व की धारा 88 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा– 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में किसी नदी की भूमि में खातेदारी अधिकार प्रोदधृत नही होने से दावा वादी खारिज योग्य है ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

10 मैंने उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से रहा है ।

11 **तनकी नं.–1** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर है । इस तनकी के समर्थन में वादी के द्वारा भूमि आंवटन आदेश उपलब्ध कराया गया है । जिसके अनुसार उगमा पिता नन्दा चमार निवासी आगुँचा को ग्राम आगुँचा की आराजी नम्बर– 4929 रकबा 05 बीघा भूमि दिनांक 03.11.1977 को आवंटन किया जाना प्रकट आया है तथा नामान्तकरण संख्या– 2460 निर्णय दिनांक 21.06.1989 को उगमा पिता नन्दा चमार को आराजी नम्बर– 6516/4919 रकबा 05 बीघा भूमि के लिये खातेदार अधिकार दिया जाना प्रकट आया है । तथा शुद्धी पत्र दिनांक 03.03.1993 से आराजी नम्बर– 6516/4919 के बजाय आराजी नम्बर– 6516/4929 शुद्ध किया जाना प्रकट आया है। तद्नुसार इस तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है ।

12 **तनकी नं.–2** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर है । इस तनकी के समर्थन में वादी के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही कराया गया है जिससे यह प्रकट हो कि अपर जिला कलक्टर भीलवाडा के यहॉ अपील प्रस्तुत करने से दिनांक 16.06.2002 को वादी का आंवटन निरस्त कर दिया गया हो । किन्तु वादी के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण संख्या– अपील/एल.आर./6024/2003/भीलवाडा उनवान उगाम पिता नन्दा चमार निवासी आगुँचा बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2012 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई हो । उक्त निर्णय के अनुसार वादी को किया गया आवंटन को निरस्त कराने हेतु तहसीलदार हुरडा के द्वारा प्रस्तुत आवेदन को अपर जिला– कलक्टर भीलवाडा ने अपने निर्णय दिनांक 14.06.2002 के द्वारा स्वीकार करते हुये वादी के आवंटन को निरस्त किया जाना प्रकट आया है । तद्नुसार इस तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में किया जाता है ।

13 **तनकी नं.–3** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर है । इस तनकी के समर्थन में वादी के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अपील प्रकरण संख्या– एल.आर./6024/2003 /भीलवाडा निर्णय दिनांक 05.10.2012 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई । माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय का अवलोकन किया गया जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा प्रकरण में पारित अपर जिला कलक्टर भीलवाडा के निर्णय दिनांक 14.06.2002 भू– प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के निर्णय दिनांक 19.09.2003 को विधि विरुद्ध एवं क्षैत्राधिकार के बाहर मानते हुये निरस्त कर दिया गया है । ऐसी स्थिति में वादी को आवंटित भूमि के सम्बन्ध में खोला गया खातेदारी प्रदान करने का नामान्तकरण यथावत रह जाता है । प्रकरण में जब राजस्व न्यायालय की सबसे उच्च पीठ के द्वारा निर्णय पारित कर दिया गया है उस दशा में वादी के पक्ष में

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

किसी भी तरह की कोई घोषणा किया जाना शेष नही रहता है । तदनुसार इस तनकी का निर्णय वादी के विरुद्ध किया जाता है ।

14 **तनकी नं.–4** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी पर है । इस तनकी के सम्बन्ध में प्रतिवादी का कथन है कि वादी को भूमि का आवंटन गै.मू. नदी कि किस्म में हुआ था, और नदी की भूमि प्रतिबंधित भूमि होने से वादी को खातेदारी अधिकार उद्धभूत नही होते है । चुँकि वादी को किस्म गे.मू.नदी में से 05 बीघा भूमि दिनांक 03.11.1977 को आवंटन हो चूकी है और माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में भी अपने निर्णय दिनांक 05.10.2012 में यह विवेचन किया है कि जिन आवंटनों में खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है एवं ऐसे प्रकरण जब पुराने हो गये हो या अवधि पार हो गये हो तो ऐस आवंटन को निरस्त नही किया जा सकता । तदनुसार इस तकनी का निणर्य प्रतिवादी के विरुद्ध किया जाता है ।

15 **तनकी नं.–5** समग्र रुप से हम पाते है कि वादी को दिनांक 03.11.1977 को आराजी नम्बर– 4929 रकबा 122 बीघा 10 बिस्वा किस्म गे.मू. नदी में से 05 बिघा भूमि का आवंटन की गई तत्पश्चात् उसे खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये गये थे । खातेदारी अधिकार दिये जाने के बाद तहसीलदार के द्वारा वादी को आंवटनशुदा भूमि को निरस्त कराने के लिये भूमि आंवटन नियम–14 (4) के तहत प्रकरण तैयार कर अपर जिला कलक्टर भीलवाडा के यहॉ प्रस्तुत किया गया। जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर वादी को किया गया आवंटन निरस्त कर दिया गया । उक्त निर्णय से रुष्ट होकर वादी के द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के यहॉ की गई जो न्यायालय द्वारा अपील अस्वीकार कर दी गई । उसके बाद द्वितीय अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर, के यहॉ प्रस्तुत करने से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा वादी की द्वितीय अपील स्वीकार करते हुये अनीस्थ न्यायालय के निर्णयों को विधि विरुद्ध मानते हुये निरस्त कर दिया गया, ऐसी स्थिति में वादी को किये गये आवंटन यथावत रह जाता है । माननीय राजस्व मण्डल के निर्यण की पालना तहसील स्तर पर की जाना अपेक्षित है। तदनुसार दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हुरडा को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में पारित माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर अपील प्रकरण संख्या– एल.आर./6024/2003/भीलवाडा उनवान उगमा पुत्र नन्दा चमार निवासी आगुँचा बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2012 की पालना अविलम्ब करें , अथवा निर्णय की पालना किया जाना सम्भव नही हो तो उक्त निर्णय की सक्षम न्यायालय में विधिवत अपील की जावें । निर्णय की प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार हुरडा को दी जावे । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 11.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट आगुँचा में सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner